न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– कैलाश चन्द्र शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
47/2018/प्रा.पत्र/2018	16.08.2018	28.02.2019

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
.... प्रार्थी

बनाम

1.श्री गोर्वधन दास पुत्र रिझूमल सिंधी जाति सिंधी निवासी 2/224 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी टोंक जिला टोंक विकेंता मैसर्स राधे–राधे एन्टरप्राईजेज कंकाली माता मन्दिर के पास टोंक जिला टोंक राज0
2–हितेश कुमार मूलचन्दानी पुत्र गोर्वधन मूलचन्दानी जाति सिंधी निवासी 2/224 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी टोंक जिला टोंक प्रोपराईटर मैसर्स राधे–राधे एन्टरप्राईजेज कंकाली माता मन्दिर के पास टोंक जिला टोंक राज0
3– मैसर्स राधे–राधे एन्टरप्राईजेज कंकाली माता मन्दिर के पास टोंक जिला टोंक राज0

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011
की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51 व 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गूर्जर, खा0सु0अ0
2–अप्रार्थी उपस्थित

:–निर्णय–: दिनांक 28.02.2019

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20.06.2018 को समय 6.30 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स राधे–राधे एन्टरप्राईजेज कंकाली माता मन्दिर के पास टोंक जिला टोंक राज0 पर पहुंचां। एफ.बी.ओ. गोर्वधन दास एंव प्रोपराईटर हितेश मूलचन्दानी होना बताया। एफ.बी.ओ मैसर्स राधे–राधे एन्टरप्राईजेज कंकाली माता मन्दिर के पास टोंक जिला टोंक राज0. खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना स्वीकार किया एवं मौके पर दिखाया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में **मीडियम फैट फ्रोजर्न डेजर्ट (स्ट्रॉबेरी ग्लोरी)** रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री गोर्वधन दास को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता गोर्वधन दास एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान में फ्रीजर मे 750 एम.एल.पैक के लगभग 25 पैकट **मीडियम फैट फ्रोजर्न डेजर्ट (स्ट्रॉबेरी ग्लोरी)** मे से 4 पैक का चयन कर वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये मे से पूर्णतया होमोजिनियस कर एक स्टील के जग मे 1200 ग्राम **मीडियम फैट फ्रोजर्न डेजर्ट (स्ट्रॉबेरी ग्लोरी)** वेईग मशीन से तुलवाकर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री गोर्वधन दास को रू0 160/–अक्षरे एक सो साठ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **मीडियम फैट फ्रोजर्न डेजर्ट (स्ट्रॉबेरी ग्लोरी)** 1200 ग्राम के चार भाग 300–300 ग्राम के तैयार कर प्रत्येक भाग को अलग–अलग चार साफ व सूखी कांच की शिशियो मे अच्छी तरह एयरटाईट कर बन्द कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–1934 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1934 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी. ओ. गोर्वधन दास के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./18/1824 दिनांक 03.07.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/323/एक्ट/2018/328 दिनांक 26.06.2018 अनुसार गोर्वधन दास से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **मीडियम फैट फ्रोजर्न डेजर्ट (स्ट्रॉबेरी ग्लोरी)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1) (zf) (C) (i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded) /अवमानक (Sub-Standard)** का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा **मिथ्याछाप (Mis-Branded)/अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का **मीडियम फैट फ्रोजर्न डेजर्ट (स्ट्रॉबेरी ग्लोरी)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सपठित धारा 49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **मीडियम फैट फ्रोजर्न डेजर्ट (स्ट्रॉबेरी ग्लोरी)** विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)/अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मीडियम फैट फ्रोजर्न डेजर्ट (स्ट्रॉबेरी ग्लोरी)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)/अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51 व 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री गोर्वधन दास पुत्र रिझूमल सिंधी जाति सिंधी निवासी 2/224 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी टोंक जिला टोंक विकेंता मैसर्स राधे–राधे एन्टरप्राईजेज कंकाली माता मन्दिर के पास टोंक जिला टोंक राज0 पर शास्ती 11,000/– (अक्षरे ग्यारहा हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 28.02.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner